UPST010061022026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर

उपस्थितः सुनील कुमार–IV, उच्चतर न्यायिक सेवा
न्यायिक अधिकारी कोड सं0 यू0पी01885

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2180 / 2026

मंशाराम उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र राम औसान निवासी ग्राम दिछौली, थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक, जनपद अमेठी .....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... आपत्तिकर्ता

मुकदमा अपराध संख्या–67 / 2026
अन्तर्गत धारा–103(1) बी0एन0एस0,
थाना–गौरीगंज, जनपद–अमेठी

दिनांकः 16.07.2026

प्रार्थी / अभियुक्त मंशाराम की ओर से थाना गौरीगंज, जनपद अमेठी के मुकदमा अपराध संख्या–67 / 2026 अन्तर्गत धारा–103(1) बी0एन0एस0 के मामले में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्यानुसार सी0आई0एस0 पर उपलब्ध डाटा के अनुसार उपरोक्त अपराध संख्या में पूर्व में किसी अभियुक्त का कोई अग्रिम / नियमित ज़मानत प्रार्थना पत्र निस्तारित नहीं हुआ है।

सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थी / अभियुक्त का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नहीं है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना गया तथा सम्यक रूप से उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

संक्षिप्ततः अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा सोमई द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 16.03.2026 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादी की पुत्री रेखा उम्र 27 वर्ष, जो अपने ससुराल से होली के दिन उसके घर पर आयी थी, दि0 15.03.2026 को शाम लगभग 8 बजे शौच करने के लिए गयी थी, जिसका शव दि0 16.03.2026 को नन्द कुमार यादव के गेहूँ के खेत के पश्चिमी मेड़ के किनारे पड़ा है, जिसके सिर व ठुड्डी पर चोट है। किसी

अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसकी हत्या कर दी गयी थी।

यह प्राथमिकी अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अभियोजन कथानक के अनुसार घटना में संलिप्तता से इंकार करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त का कोई दोषसिद्ध आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है और उसे हैरान व परेशान करने की गरज से फर्जी व झूठा फंसाया गया है। मुकदमा अज्ञात में लिखा गया है तथा प्रार्थी को हैरान व परेशान करने की नीयत से अभियुक्त बनाया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी दि0 17.03.2026 से जिला कारागार सुलतानपुर में निरूद्ध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है। प्रार्थी मृतका का पति है और दोनो के संसर्ग से दो पुत्र अंशू व रीशू आयु क्रमशः 10 वर्ष व 07 वर्ष हैं। प्रार्थी के द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। प्रार्थी मुकदमे में नामजद अभियुक्त नहीं है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किया जाना आवश्यक है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में यद्यपि नामित नहीं है, परन्तु दौरान विवेचना उसका नाम वादी के बयान एवं कॉल डिटेल रिपोर्ट से प्रकाश में आया है। प्रार्थी/अभियुक्त, जो मृतका का पति है, के द्वारा मृतका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था तथा इसी क्रम में, जब मृतका अपने मायके आयी हुई थी, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसे खेत में धोखे से बुलाकर उसकी हत्या कर दी गयी। प्रार्थी/अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त डण्डे व मोटर साइकिल की बरामदगी की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

निम्नांकित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कि–

1. प्रार्थी/अभियुक्त मृतका का पति है।

2. केस डायरी के पर्चा नं0–2 में प्रार्थी/अभियुक्त के मोबाइल नंबर 8175921828 के सी0डी0आर0 का विश्लेषण अंकित है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि मो0नं0–8175921828 (मंशाराम) का विश्लेषण किये जाने पर पाया गया कि घटना से पूर्व लगातार मृतका रेखा के पति मंशाराम के द्वारा अपनी पत्नी मृतका रेखा के मोबाइल नं0 9565991393 पर कई बार कॉल करके मिलने हेतु बुलाया गया है तथा बातचीत के दौरान मंशाराम (प्रार्थी/अभियुक्त) की लोकेशन

लगातार परिवर्तित होते हुए घटनास्थल तक आना प्रमाणित है और घटना कारित कर पुनः घटनास्थल से गौरीगंज मुसाफिरखाना रोड से होते हुए अपने मूल कार्यस्थल कूरेभार सुलतानपुर जाना प्रमाणित है।

3. केस डायरी के पर्चा नं0–2 में दर्ज वादी मुकदमा सोमई के बयान से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त एवं मृतका में आपसी सम्बन्ध ठीक नहीं थे और प्रार्थी/अभियुक्त, मृतका को मारता पीटता व प्रताड़ित करता था। वह मृतका को लगातार परेशान व जान से मारने की धमकी देता रहता था।

4. प्रार्थी/अभियुक्त को दि0 17.03.2026 को जब गिरफ्तार किया गया तो उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया तथा यह कथन किया कि मेरी पत्नी रेखा मेरे व पायल के सम्बन्धों को लेकर जीना हराम किये थी तथा मेरे व पायल के बीच कांटा बनी हुई थी। मेरी पत्नी रेखा का अन्य मर्दों से नाजायज सम्बन्ध होने का मुझे शक था वो लगातार अन्य मोबाइल पर मर्दों से बात करती थी। मेरे मना करने पर भी नहीं मानती थी और पूछने पर बताती नहीं थी। मैं कई सालों से रेखा को बरदाश्त करता चला आ रहा था कि दि0 04.03.2026 को मैं अपनी पत्नी रेखा सहित ससुराल होली में आया था। तभी से रेखा को मैंने उसी के घर पर रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी। रेखा बच्चों सहित दि0 16.03.2026 को मेरे घर आने वाली थी तो दि0 15.03.2026 को रेखा को उसके घर में ही खतम करने का प्लान मैने मन में सोच कर लगभग 6 बजे शाम को कूरेभार सुलतानपुर भट्टे से एक मोटा डण्डा लेकर मोटर साइकिल से ससुराल लगभग 9 बजे पहुंच कर अपनी मोटर साइकिल को सुनसान जगह पर खड़ी कर खेतों के रास्ते गांव के पीछे पहुंच कर मैने रेखा को फोन कर अपनी जान देने की दुहाई देकर किसी तरह बुला लिया। जब वह मेरे पास खेतों में आयी तो नाराज होकर लड़ने लगी कि अचानक मैने हाथ मे लिये डण्डे से उसके सिर पर जोर से दे मारा, जिससे रेखा वहीं गिर गयी तो मैने ताबड तोड़ चार पांच बार रेखा के सर पर डण्डा मारा। थोड़ी देर में रेखा शान्त हो गयी। जब मैं समझ गया कि रेखा मर गयी तो चुपचाप खेतों से होते हुये मोटर साइकिल के पास पहुंच कर सरपत में डण्डा, जिसमें खून लग गया था, छिपाने के बाद मोटर साइकिल लेकर गौरीगंज सुलतानपुर रोड से मुसाफिरखाना होते हुये कूरेभार सुलतानपुर भट्टे पर जा रहा था कि मुसाफिरखाना में दरोगा जी ने उसी रात्रि लगभग 11.30 बजे मेरी मोटर साइकिल को रोककर चालान करके मुझे छोड़ दिया था। मैं कूरेभार सुलतानपुर भट्टे पर जाकर अपनी पत्नी रेखा की मोबाइल सिम सहित जलते हुये भट्टे में डाल दिया और काम करने लगा, जिससे लोगों को शक न हो। सुबह रेखा की हत्या होने की

सूचना मिलने पर मैं अपने गांव से कई लोगों के साथ ससुराल आया था। जहां पुलिस लाश की लिखा पढ़ी कर चुकी थी। मैंने रेखा का पोस्टमॉर्टम होने के बाद अपने घर ले जाकर जल्दी से जल्दी उसे दफन कर दिया था ताकि किसी को शक न होने पाये परन्तु मैंने रेखा से मोबाइल पर बात करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिससे मैं पकड़ा गया। रेखा को मारने का मुझे कोई पश्चाताप नहीं है।

5. विवेचक द्वारा दौरान विवेचना थाना मुसाफिरखाना के उप निरीक्षक रामपलट, जिनके द्वारा घटना के दिन घटना कारित करके लौटते समय प्रार्थी/अभियुक्त की मोटर साइकिल का चालान काटा गया था, का बयान केस डायरी के पर्चा नं0–12 में दर्ज किया गया है, जिन्होने अपने बयान में यह कथन किया है कि दि0 15.03.2026 की रात्रि में मैं व मेरे साथ अन्य कर्मचारीगण ऑपरेशन चक्रव्यूह में लगे हुए थे। रोड पर आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि मोटर साइकिल सं0 यू0पी0 44 ए0ई0 9017 को रोककर चेक किया गया तो चालक कुछ घबराया सा प्रतीत हो रहा था। नाम पता पूछने पर चालक कुछ सोचकर अपना नाम धर्मेन्द्र कुमार बताया था। चूंकि वाहन भी धर्मेन्द्र कुमार के नाम से था इसलिए मैंने समझा कि वाहन चालक व वाहन स्वामी एक ही हैं। अतः चालक द्वारा बिना हेलमेट वाहन चलाने के जुर्म में एक हजार रूपये का चालान करके छोड़ दिया था।

6. मृतका रेखा के पंचायतनामा के अनुसार 'चोट' शीर्षक के अन्तर्गत यह उल्लिखित है कि, ''सिर पर चोट खूनालूद, ठुड्डी पर चोट खूनालूद। महिला के सम्मान को ध्यान में रखते हुए चादर का ओट कर महिला कॉ0 रीना यादव से शव को सावधानीपूर्वक उलट–पलट कर देखा गया तो सिर व ठुड्डी के अतिरिक्त कोई अन्य जाहिरा चोट नहीं पायी गयी।''

7. मृतका रेखा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मृतका के शरीर पर निम्नलिखित 05 चोटें पायी गयी थीं:–

(I) BONE DEEP INCISED WOUND OF SIZE 8.0 CM X 1.5 CM PRESENT AT TOP OF HEAD.

(II) INCISED WOUND OF SIZE 7.0 CM X 1.0 CM PRESENT AT PARIETAL REGION OF THE HEAD UNDERLYING SKULL BONE FRACTURE PRESENT.

(III) BONE DEEP INCISED WOUND OF SIZE 5.0 CM X 1.0 CM PRESENT AT LEFT SIDE TEMPORAL REGION OF HEAD.

(IV) BONE DEEP INCISED WOUND OF SIZE 3.0 CM X 1.0 CM PRESENT AT LEFT MANDIBULAR REGION.

(V) MULTIPLE ABRADED CONTUSION PRESENT AT FACE AND NECK

HAVING LARGEST ONE OF SIZE 6.0 CM X 2.0 CM.

मृतका की मृत्यु, एण्टीमॉर्टम इंजरी के कारण उत्पन्न Haemorrhagic shock से हुई है।

8. प्रार्थी/अभियुक्त से आलाकत्ल डण्डा एवं घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल की बरामदगी हुई है तथा मोटर साइकिल की डिग्गी से घटना के समय प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा धारण किया गया पिंक कलर का पैन्ट भी बरामद किया गया, जिस पर घुटने के पास खून के छीटें मौजूद थे।

9. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतका के शरीर पर आयी चोट सं0 1, 2 3 व 4 कटे हुए घाव की चोटें थीं, जो कि तेज़ धारदार हथियार से ही आ सकती है जबकि प्रार्थी/अभियुक्त से डण्डे की बरामदगी हुई है, जो कि कठोर और भोथरा हथियार है। स्पष्ट है कि मृतका को आयी चोटें प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित नहीं की गई हैं और प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसकी हत्या नहीं की गई है। यह न्यायालय विद्वान अधिवक्ता के उपर्युक्त तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि पोस्टमॉर्टमकर्ता डॉक्टर संदीप कुमार, जिनका बयान केस डायरी के पर्चा नं0–2 में दर्ज है, ने अपने बयान में यह कथन किया है कि यदि नीचे की स्ट्रॉन्ग बोन पर ऊपर से किसी मजबूत ब्लंट ऑब्जेक्ट से प्रहार किया जाए तो चोटें धारदार हथियार से पहुंचायी गयी प्रतीत होती हैं।

यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार होना नहीं पाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त मंशाराम की ओर से थाना गौरीगंज, जनपद अमेठी के मुकदमा अपराध संख्या–67/2026 अन्तर्गत धारा–103(1) बी0एन0एस0 के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 16.07.2026

(सुनील कुमार–IV)
सत्र न्यायाधीश,
सुलतानपुर
J.O. Code No. UP 1885

मधुलिका सिंह/–

Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2026.07.16 18:04:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court